# BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

## ORIGINAL APPLICATION NO. 139 OF 2023

## I.A. No. 855/2023

**In the matter of:**

Prayag Hospital & Research Centre Pvt. Ltd. ...Applicant

Versus

Union of India & Ors. ...Respondent

**INDEX**


| S. NO. | PARTICULARS | PAGE NO. |
|---|---|---|
| 1. | REPLY ON BEHALF OF ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE, GAUTAM BUDDHA NAGAR | 1-4. |
| 2. | **ANNEXURE-I**<br>True copy of letters sent by Assistant Commissioner of Police to the President, RWA,Sector-41,Noida, Regional officer (Uttar Pradesh Control Board), Noida, and the letter from the office of Assistant Commissioner of Police-I to the Additional Commissioner of Police. | 5-8 |


Through
**BHANWAR PAL SINGH JADON**
**STANDING COUNSEL OF STATE OF U.P**
**NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

Bhanwar Pal Singh Jadon (Adv.)
L.L.M
Standing Counsel Government of U. P.
121 New Lawyers Chamber
Supreme Court of India, New Delhi-110001
(M) 09312548758

# BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

**ORIGINAL APPLICATION NO. 139 OF 2023**
**I.A. No. 855/2023**

**In the matter of:**

Prayag Hospital & Research Centre Pvt. Ltd. ...Applicant

Versus

Union of India & Ors. ...Respondent

## REPLY ON BEHALF OF ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE, GAUTAM BUDDHA NAGAR

I, Arvind Kumar, aged about 58 years, S/o. Raghuvar Singh, presently posted as Assistant Commissioner of Police, Gautam Buddha Nagar do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That in the above-noted capacity, I am well conversant with the facts and records of the present case and am authorized to swear the present affidavit.

2. That the present case has been instituted by M/s Prayag Hospital & Research Centre, alleging that weddings and events conducted at the Community Centre, Sector-41, Noida, generate noise pollution exceeding permissible limits, thereby posing a significant concern for the well-being of patients admitted to the hospital.

That the matter was listed on 04.12.2023 and 08.05.2024 and the Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following order.

1

 BHANWAR JADON

**Order dated 4.12.2023:-**

*I. 'PARA "5" We have gone through the report of the Joint Committee. In the report it has been mentioned that area adjoining Prayag Hospital and Research Centre has been declared 'Silence Zone'. Ambient air quality standards in respect of noise in 'Silence Zone' are 50 DB (A) Leq during day time (06.00 am to 10.00 pm) and 40 DB (A) leq during night time (10.00 PM to 06.00 am). In the report the Joint Committee has mentioned that observed values of ambient air quality in respect of noise in the 'Silence Zone' in question during day time were (i) 68.6 DB (A) in front of Prayag Hospital Main Road, (ii) 57.1 DB (A) near back side of Hospital and (iii) 71.1 DB (A) RWA gate near Prayag Hospital. It has been mentioned in the report that the monitoring was done in the afternoon when no event was going on during the monitoring. It is thus evident that the Joint Committee/UPPCB has not done any monitoring during night time particularly during organization of any event in the community centre.*

*II. **PARA "10"**A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same be forwarded to the CEO, NOIDA, the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and the Senior Superintendent of Police and the District Magistrate, Gautam Buddha Nagar by e-mail for requisite compliance.*

2

**Order dated 08.05.2024:-**

*III.* ***PARA "5"*** *In the meanwhile respondent no. 4 is restrained from making any booking for any wedding celebration or any other social event in the Community Center, Sector 41, NOIDA except on submission of undertaking that there will be no outdoor playing of any music/loud speaker outside the Community Center and in the silence zone for any purpose.*

*IV.* ***PARA "6"*** *However, this order will not bar playing of music/loud speaker inside the Community Center in accordance with the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.*

*V.* ***PARA "7"*** *The District Magistrate, Noida and Senior Superintendent of Police, Noida are directed to take requisite steps for ensuring that no music/loud speaker is played outside said Community Center and in the silence zone.*

3. It is expedient to submit that in compliance with the Hon'ble Tribunal's directions dated 04.12.2023, wherein specific restrictions were imposed, the Assistant Commissioner of Police -1, Noida- Gautam Buddha Nagar, has issued instructions to the President of the Resident Welfare Association, Sector 41, Noida, the NOIDA Authority, and the Regional Officer of the Uttar Pradesh Control Board

NOTARY S. K. Sharma Noida, G.B.N. Reg. No.-2313 GOVT. OF INDIA

3

(UPCB), Noida, to ensure the strict adherence to the Tribunal's orders.

True copy of letters issued to above mentioned parties is annexed as ***Annexure I*** of the present reply.

4. That it is humbly prayed that the present Reply may kindly be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the deponent above named, do hereby verify that the contents of above reply are true and correct to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing material has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 4TH DAY OF SEPTEMBER, 2024 AT NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR.

DEPONENT

NOTARY GOVT. OF INDIA S.K. Sharma Noida G.b.n. Reg. No.-2313

ATTESTED
S.K. SHARMA
NOTARY PUBLIC
NOIDA U.P. INDIA

Serial No. N-1752 Date 4 SEP 2024

4.

# कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त- प्रथम नोएडा गौतमबुद्धनगर

पत्रांकःआर-एसीपी-एन-1(विविध)/2024 दिनांकः अगस्त 23, 2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड नोएडा।
क्षेत्रीय कार्यालय ई-12/1 सैक्टर 1 नोएडा।
जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषयः- **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 139/2023 मै0 प्रयाग हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्रा0लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है, कि मा0 अधिकरण के आदेश दिनांकित 04.12.2023 के परिप्रेक्ष्य में अध्यक्ष, रेजीडेंट वेलफेयर एशोसिएशन, सेक्टर 41 नोएडा को सामुदायिक केन्द्र सैक्टर 41 नोएडा में सम्पन्न कराये जा रहे कार्यक्रमों एवं आयोजन में ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) नियम 2000(यथासंशोधित) में उल्लिखित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त **विशेष कार्याधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशानिक भवन सैक्टर 06 नोएडा जनपद-गौतमबुद्धनगर को भी** सामुदायिक केन्द्र सैक्टर 41 नोएडा में सम्पन्न कराये जा रहे कार्यक्रमों एवं आयोजन में ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) नियम 2000(यथासंशोधित) में उल्लिखित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने सम्बन्धित को निर्देशित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिनकी प्राप्ति प्रतियां संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सामुदायिक केन्द्र सेक्टर 41 नोएडा से ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) नियम 2000(यथासंशोधित) में उल्लिखित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा एवं उल्लंघन की दशा में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

संलग्नकः यथोपरि।

23/8

(प्रवीण कुमार सिंह)
सहायक पुलिस आयुक्त-1
नोएडा-गौतमबुद्धनगर।

Recd.
27-08-2024
क्षेत्रीय कार्यालय
उ. प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
ई-12/1, सैक्टर-1, नौएडा

5

## Acknowledgement

Received one letter from Ms./Mr./Sh./Smt/ Sahayak Police Ayukt
Regarding-Sub-Ref no-R-ACP-N-1/2024 Dated-22/08/2024 Noida(ACEO-SK)
On Date-27-August-2024
No-114-270802024 New Okhla Industrial Development Authority

6

# कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त- प्रथम नोएडा गौतमबुद्धनगर

पत्रांकःआर-एसीपी-एन-1(विविध)/2024 दिनांकः अगस्त 22, 2024

सेवा में

श्री अनिल खन्ना
अध्यक्ष आर0डब्लू0ए0 सैक्टर 41 नोएडा
जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 139/2023 मै0 प्रयाग हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्रा0लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि सेक्टर 41 नोएडा सामुदायिक केन्द्र का संचालन एवं रख रखाव आपके स्तर से किया जाता है तथा विदित है, कि सामुदायिक केन्द्र के परिसर से सटा हुआ मै0 प्रयाग हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर स्थापित एवं संचालित चिकित्सीय संस्थान है। सामुदायिक केन्द्र में विभिन्न प्रकार के आयोजन सम्पादित किये जाते है एवं यह भी संज्ञानित हुआ है कि आयोजनों में ध्वनि उदघोषक यंत्रों एवं डी0जे0 का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है, कि ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) नियम 2000(यथासंशोधित) में उल्लिखित है, कि चिकित्सीय संस्थान के निकटवर्ती 100 मीटर क्षेत्र को शांत क्षेत्र (Slince zone) घोषित किया गया है। सेक्टर 41 नोएडा सामुदायिक केन्द्र द्वारा की जा रही गतिविधियों से संदर्भित नियमों में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लघन हो रहा है एवं चिकित्सीय संस्थान में मरीजों का असुविधा हो रही है।

अतः उपरोक्त के कम में आपको निर्देशित किया जा रहा है, कि सामुदायिक केन्द्र सैक्टर 41 नोएडा में सम्पन्न कराये जा रहे विभिन्न कार्यकमों एवं आयोजन में ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) नियम 2000(यथासंशोधित) में उल्लिखित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं कार्यकम एवं आयोजन इस प्रकार संचालित किये जाये कि चिकित्सीय संस्थान के मरीजो को असुविधा का सामना न करना पडे। उल्लंघन की दशा में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

Praveen
22/8

(प्रवीण कुमार सिंह)
सहायक पुलिस आयुक्त-1
नोएडा-गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः-

1. जिलाधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोड नोएडा महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. पुलिस उपायुक्त नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर महोदय को सादर सूचनार्थ।
4. प्रतिलिपिः- अपर पुलिस उपायुक्त नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर महोदय को सादर सूचनार्थ।
5. प्रतिलिपिः- थाना प्रभारी सेक्टर 39 नोएडा को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

Residents Welfare Association NOIDA Sector-41

7

# कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त- प्रथम नोएडा गौतमबुद्धनगर

पत्रांकःआर-एसीपी-एन-1(विविध)/2024 दिनांकः अगस्त 23, 2024

सेवा में,

अपर पुलिस आयुक्त, मुख्यालय
कमिश्नरेट-गौतमबुद्धनगर।

कृपया आप अपने पत्र संख्याः रिट-मिस/2024 दिनांक 18.08.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 139/2023 मै0 प्रयाग हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्रा0लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त विषयक कृपया अवगत कराना है, कि मा0 अधिकरण के आदेश दिनांकित 04.12.2023 के अनुपालन के क्रम में अध्यक्ष, रेजीडेंट वेलफेयर एशोसिएशन, सेक्टर 41 नोएडा को सामुदायिक केन्द्र सैक्टर 41 नोएडा में सम्पन्न कराये जा रहे कार्यक्रमों एवं आयोजन में ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) नियम 2000(यथासंशोधित) में उल्लिखित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त **विशेष कार्याधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशानिक भवन सैक्टर 06 नोएडा जनपद-गौतमबुद्धनगर को भी** सामुदायिक केन्द्र सैक्टर 41 नोएडा में सम्पन्न कराये जा रहे कार्यक्रमों एवं आयोजन में ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) नियम 2000(यथासंशोधित) में उल्लिखित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने सम्बन्धित को निर्देशित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिनकी प्राप्ति प्रतियां संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रपत्रों सहित आख्या दिनांक 27.08.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, सैक्टर 01 नोएडा प्राप्त कराई जा चुकी है साथ जरिए ई-मेल भी आख्या सम्बन्धित को प्रेषित की जा चुकी है। सामुदायिक केन्द्र सेक्टर 41 नोएडा से ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) नियम 2000(यथासंशोधित) में उल्लिखित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा एवं प्रकरण में मा0 अधिकरण के अग्रिम आदेश के अनुपालन में विधि संगत कार्यवाही की जायेगी।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

**संलग्नकः यथोपरि।**

Praveen
23/8/24

(प्रवीण कुमार सिंह)
सहायक पुलिस आयुक्त-1
नोएडा-गौतमबुद्धनगर।

8